बाँका समाहरणालय

(निर्वाचन शाखा)

आदेश

लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के परिप्रेक्ष्य में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचक जागरूकता कार्य तथा मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को चिन्हित करते हुए मतदान केन्द्र भवनों के सर्वेक्षण आदि कार्य किए जा रहे है। आगामी लोक सभा निर्वाचन हेतु इन कार्यो के महत्व को देखते हुए मतदान केन्द्रों को सेक्टर में विभक्त कर मतदान केन्द्रों के समूह को संबद्ध कर उक्त कार्यो के अनुश्रवण हेतु परिशिष्ट ''क'' के अनुसार सेक्टर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी मतदान केन्द्रों के भवन की स्थिति,मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे–पेय जल, छायादार स्थान, रैंप, शौचालय, बिजली आदि सुविधाओं के आकलन के अतिरिक्त क्षेत्र में चलायी जा रही स्वीप गतिविधियों, मतदान केन्द्र स्तरीय जागरूकता समूह के क्रियाकलाप, विशेष अभियान दिवसो को मतदान केन्द्रों पर व्यवस्था आदि का अनुश्रवण का कार्य भी करेंगे। संलग्न परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित मतदान केन्द्रों के गुच्छ के लिए सेक्टर पदाधिकारियों के कार्यों के अनुश्रवण के लिए सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए वरीय पदाधिकारी नियुक्त किए जाते है।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के समबन्ध मे अपने वरीय पदाधिकारी के साथ–साथ अधोहस्ताक्षरी को दैनिक प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेगे।

सेक्टर पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यो का विवरण निम्नवत है :–

(क) चुनाव पूर्व दायित्व/कार्यः–(Responsbilities before Poll)

1. आवंटित मतदान केन्द्रो का रूट चार्ट विभिन्न मार्ग से अलग–अलग तैयार करना– सभी मतदान केन्द्रों पर पहुंचने में लगने वाले समय का आकलन करना।
2. मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं यथा पानी, शेड, रैम्प, बिजली, शौचालय, दूरभाष, मतदान भवन की स्थिति पर भौतिक सत्यापन कर जानकारी प्राप्त करनी होती है।
3. मतदान केन्द्रों के स्थान के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना ।
4. मतदान केन्द्र के ईर्द–गिर्द अवस्थित भवन के निवास करने वाले व्यक्तियों का नाम/मोबाइल नम्बर इक्क्ठा करना है।
5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों यथा–ELC CLUB, FUTURE VOTER CLUB PWD Electors, SVEEP बी.एल.ओ. द्वारा किए जा रहे कार्यो का अनुश्रवण करना है।
6. मतदान केन्द्र के लिए बनाये गये बूथ अवेयरनेस ग्रुप (BAG) के क्रियाकलाप का अनुश्रवण करना है।
7. यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र पर मोबाइल नम्बर के किन–किन कम्पनियों की सेवायें/नेटवर्क उपलब्ध है।
8. मतदान क्षेत्र को नजरी नक्शा तैयार करना/मतदान लेने के अन्तर्गत् निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की दुरभाष संख्या एकत्रित करना।
9. मतदाताओं को ई.वी.एम. को प्रदर्शित कर जानकारी दिया जाना।
10. मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम/मतदान केन्द्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. को जानने की सूचना देना।
11. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464–EPS-दिनांक 27.1.2014 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिये गये निदेश के अनुसार मतदान केन्द्र पर Assured Minimum Facilities (AMF) संबंधी साप्ताहिक अद्यतन प्रतिवेदन AnnexureII में दिया जाना।

(ख) भेद्यता मानचित्र (Vulnerable Mapping) तैयार करना

1. वैसे मतदान केन्द्रो/गावों, टोलों की पहचान करना जहां मतदाताओं को मतदान करने से रोका जाता हो, उन्हें मतदान से वंचित कराया जाता हो।
2. मतदान केन्द्रवार ऐसे Vulnerable मतदाताओं की पहचान करना।
3. मतदाताओं को स्वच्छ रूप से मतदान करने हेतु उन्हें प्रेरित करना।
4. ऐसे मतदाताओं का दूरभाष प्राप्त करना
5. Vulnerable Mapping-भेद्यता मानचित्र संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार करना

(ग) चुनाव की पूर्व संध्या का दायित्व–(A day before poll day)

1. यह सुनिश्चित करना कि सभी मतदान दल मतदान केन्द्र पर पहुँच चुके हैं।
2. मतदान के लिए पुलिस बल मतदान के केन्द्र पर पहुंच चुके है।
3. मतदान दलो को ई.वी.एम. के संबंध में यदि कोई दुविधा हो तो उसे दूर करना।
4. नियंत्रण कक्ष को मतदान केन्द्र के संबंध में OK रिपोर्ट देना।

(घ) मतदान के दिन की जवावदेही–(Poll Day Responsibility)

1. मॉक पॉल का संचालन/इसकी स्थिति की जानकारी कंट्रोल रूम को मतदान प्रांरभ होने के पूर्व दिया जाना।
2. सभी आवंटित मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रांरभ होने के पूर्व जाकर पीठासीन पदाधिकारियों को जानकारी देना कि पोलिंग एजेन्ट की अनुपस्थिति में भी निर्धारित समय तक इंतजार कर मॉक पॉल पूरा कर लेना है।
3. मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल–कार्यरत है।
4. वैसे ई.वी.एम. जिसे Replace करना हो अविलम्ब उसे Replace करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
5. जिन मतदान केन्द्रों पर पोलिंग एजेन्ट उपस्थित नहीं हैं उन्हें Track करना।
6. मतदान–दल को मतदान केन्द्र के अन्दर उन्हें मदद करना।
7. मतदान प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखना।
8. मॉक पॉल का प्रमाण पत्र संबंधित P.O.से मॉक पॉल के उपरांत प्राप्त करना।
9. मॉक पॉल की स्थिति की जानकारी मतदान प्रारंभ होने के 30 मिनट के अन्तर्गत् कंट्रोल को संसूचित करना।
10. मतदान पैटर्न का अध्ययन करना। यदि किसी Segment/Section के मतदाता पूर्ण रूप से मतदान करने आ रहे है तो इसको Track करना।
11. मतदान प्रतिशत % की जानकारी Control Room को देना।
12. मतदान के दिन प्राप्त शिकायतों का निदान।
13. मतदान के लिए कतारबद्ध मतदाताओं का प्रबंधन।

(च) मतदान की समाप्ति के उपरांत (After the close of poll)

1. P.O. डायरी सही रूप से भरा जाना।
2. EVM सही ढंग से सील किया गया है।
3. 17 C बैलेट पेपर एकाउन्ट ठीक ढंग से भरा गया है एवं इसकी प्रति Polling Agent को दिया गया हो सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि ठीक ढंग से 17 ए रजिस्टर संधारित हो रजिस्ट के अंतिम क्रम में उपरांत P.O का हस्ताक्षर किया गया है।
5. मतदान के बाद मतदान संबंधी कागजातो/ई.वी.एम. को P.O. द्वारा सील किए जाने का कार्य पूर्ण कराना।

6. Polled EVM को मतदान के बाद प्राप्ति केन्द्र पर ले जाने हेतु स्कॉट करना।
7. P.O द्वारा Additional Report तैयार कराकर उसे प्राप्ति केन्द्र पर देना।
8. मतदान के उपरांत R.O. को प्रतिवेदित करना।

अपेक्षा की जाती है कि नियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी/सेक्टर के वरीय पदाधिकारी आयोग के दिशा निदेश के अनुसार अपने दायित्वो का निर्वहन ससमय करना सुनिश्चित करेगें। इस कार्य में किसी तरह की शिथिलता गंभीरता पूर्वक लिया जायेगा एवं संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, बांका

ज्ञापांक :–309/नि0, बांका, दिनांक :–02/03/19

प्रतिलिपिः– प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय पदाधिकारी(विधान सभा क्षेत्र के लिए) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– ERO/ARO 159–अमरपुर, 160–धोरैया (अ0जा0), 161–बांका, 162–कटोरिया (अ0ज0जा0) एवं 163–बेलहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी AERO/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, /अंचलाधिकारी बांका जिला/सभी थानाध्यक्ष बांका जिला को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर जिला सुचना जनसंपर्क पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बांका जिला के वेबसाईट पर सेक्टर पदाधिकारियों की सूची अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बांका को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वे सेक्टर से संबंधित थाना के प्रभारी को सेक्टर पदाधिकारी के कार्यो में सहयोग हेतु निदेशित करेंगे।

2/3/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, बांका